ET Delhi (Eng) 26.10.17

GAIL (India) Limited
(A Govt. of India Undertaking)
A Maharatna Company

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given to the Shareholders of the GAIL (India) Limited ("the Company") whose shares are being transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) in accordance with the section 124(6) ("the Provisions") and Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"). As per provisions, all shares in respect of which dividend have not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred to IEPF.

In this regard, the Company has completed the posting of specific communications to the concerned shareholders whose dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years, at their latest available address with the Depository/R&TA mentioning complete details of the shares due for transfer into IEPF. The brief particulars are as under:

Dividend (Year)	Date of Declaration	Last date for Claiming Dividend	Transfer of Shares to IEPF Suspense Account
Interim (2010-11)	23rd December, 2010	22nd January, 2018	After 22nd January, 2018

To know the details of such shareholders please refer www.gailonline.com/InvestorZone.

Shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years, can write to the Company at the Registered Office (or email at shareholders@gail.co.in) or to our Registrar and Share Transfer Agent (Address: MCS Share Transfer Agent Limited, **Unit: GAIL (India) Limited**, 1st Floor, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or email at admin@mcsregistrars.com) for further details and for making a valid claim of the unclaimed dividend lying with the Company on or before 22nd January, 2018 falling which the relevant shares will be transferred to IEPF.

Subsequent to the date mentioned above, the concerned shareholders can claim the said shares along with the dividend(s) from IEPF in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed in the IEPF Rules 2016. Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in.

Place: New Delhi
Date: 26.10.2017
E-mail: shareholders@gail.co.in
Website: www.gailonline.com

For GAIL (India) Limited
Sd/-
(A.K. Jha)
Company Secretary

Regd. Office: 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi - 110066
Phone: 011-26182955, Fax: 011-26185941

Corporate Identification Number: L40200DL1984GOI018976

'Food Process

Govt considering inclusion of 25% hom

Ratna Bhushan & Chaitali Chakravarty

New Delhi: Union minister for food processing industries Harsimrat Kaur Badal said the government is still considering the inclusion of 25% home care and personal care products in multi-brand food retail outlets owned by foreign companies. She said global companies have committed a $10 billion investment in food processing, technology, cold chain and retail in the next two ye-

ars in the run-up t
India event, a mega
an government s
vember 3-5 to attra
ment and create 1 n

Badal said foreig
as Metro, Mountai
zon, among others
investment in foo
100% foreign di
(FDI) in multi-bra
food items was nev
ration.

"As a policy, the B
inst multi-brand r

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विक
THE NATIONAL INSTITUTE FOR ENTREPI
AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
(Under Ministry of Skill Development & Entrepreneursh
Since 1983, ISO:9001-2008 Certified, A-23 Sec-62, Noida (U.P.)

42nd Workshop on

HOW TO RAISE FINANCE AND MITIG

Who May Attend:
- Entrepreneurs • Professional
- Consultant • Women Entrepreneur,
- Start ups • Teacher • Finance Students

COURSE CONTENT:
- Bankable Project Report (DPF
- Venture Capital • Bank Financ
- Export Finance • Loan Plan •

FEES Rs. 5000/- + 18% GST (Inclusive of Soft Study Materia

14th Entrepreneurship Development Pro

SOCIAL MEDIA MARKETI

Who May Attend:
- Professionals • Businessman
- Retired People • Homemakers
- Students

COURSE CONTENT:
- Learn Social Media Marketing & increase Entrepreneurship • Learn Video, Blog & i
- Start Your Own Business Using Social M
- Work From Home • Govt. Loan Schemes

FEES Rs. 7000/- + 18% GST (Inclusive of Soft Study Material,
DATE: 28th & 29th Oct. 2017 (SAT & SUN) 10:00 AI
Venue: NIESBUD, A-23, Sector-62, No

For Details and Registration please contact : **www.niesbu**
Kuldeep: **9953 981 416; Ph: 0120-4017006** H.P. Singh: **9**
E-mail: kuldeep.niesbud@gmail.com, singh.niesbu
e-Certificate will be awarded by NIESBUD, It can be verified at n

EMPOWE
ENSURI

चीफ इकनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने ट्वीट किया 1.35 लाख करोड़ रुपये के रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स जारी ने की लागत 'करीब 8 से 9 हजार करोड़ रुपये के सालाना ब्याज तान' की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार रीकैप न्ड्स सीधे जारी करती है तो उसका कर्ज बढ़ जाएगा, लेकिन ॉन्फिडेंस, अहम अवरोधों का असर दूर करने, क्रेडिट बढ़ाने, इवेट इनवेस्टमेंट, ग्रोथ से लागत का असर खत्म हो सकता है। की तो बस एकाउंटिंग का काम बचेगा।'

गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, 'होल्डिंग कंपनी के बॉन्ड्स पर वरेन गारंटी होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट का इंतजाम इस कंपनी को कों की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड से हो सकता है।' उन्होंने हा कि होल्डिंग कंपनी सरकारी बैंकों के शेयर भी बेच सकती है। धिकारी ने कहा, 'इसके अलावा विचार यह है कि इस कैपिटल ोर्ट के जरिए बैंकों की फाइनेंशियल पोजिशन सुधरेगी और वे मार्केट्स में स्टेक सेल करते वक्त बेहतर प्राइस हासिल कर पाएंगे।' जेटली ने मंगलवार को कहा था कि बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 52 पर्सेंट तक लाया जा सकता है, जो कुछ मामलों में 75 पर्सेंट तक है।

8 पर्सेंट से नीचे चला गया है। उन्हें लगातार प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है और बट्टे खाते में भी पैसा डालना पड़ रहा है। सरकारी फंडिंग मिलने से उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, जिससे बट्टे खाते की समस्या का अपने आप हल निकल आएगा। मान लीजिए कि एक बैंक की नेटवर्थ 5,000 करोड़ रुपये है और अगले साल उसे 5,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने हैं यानी राइटऑफ करने हैं। इससे बैंक की पूरी नेटवर्थ खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि सरकार से बैंक को फंड मिलता है। इससे उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी। कैपिटल एडिक्वेसी में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 5,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने के बाद भी नेटवर्थ में बढ़ोतरी की वजह से बैंक सामान्य ढंग से कामकाज जारी रख पाएगा। इसका मतलब अगले कुछ साल के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिल गया है। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड 5 या 10 साल वाले हो सकते हैं। इनका कूपन रेट सरकारी बॉन्ड से जुड़ा होगा, जो 6-7 पर्सेंट हो सकता है। रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में निवेश से भी बैंक पैसा बनाएंगे। यह बैंक के लिए कैश न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है।

जाएगा, जो बड़ी बात है। बैंकिंग मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि फंडिंग के साथ बैंकों में दूसरे रिफॉर्म भी किए जाएंगे। इससे बैंकों को अभी वाले ग्रोथ साइकल का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

निवेशक चिंतित थे कि बैंक बाजल 3 रूल्स को कैसे पूरा करेंगे। इस फंडिंग के साथ यह चिंता दूर हो गई है। कई जानकारों ने कहा था कि बाजल 3 के लिए 2019 तक बैंकों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें से 2.1 लाख करोड़ रुपये उन्हें मिलने जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2019 तक बैंक अपने बूते फंड हासिल करने की हालत में आ जाएंगे।

क्या इससे बॉन्ड प्राइसेज में बढ़ोतरी होगी? फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा?

कैश पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यह सिर्फ रोटेशन है। इसलिए इसका बॉन्ड मार्केट पर असर नहीं होगा। रीकैप बॉन्ड पर जो ब्याज देना पड़ेगा, उसे मैनेज किया जा सकता है और यह फिस्कल डेफिसिट का 0.5 पर्सेंट होगा। इसलिए यह भी प्रॉब्लम नहीं है।

SULTS

3 MONTHS ENDED 30 SEPT. 2016 (UNAUDITED) Rs. Crores		
2,194.04		
261.07		
261.07		
181.81		
182.41		
85.00		
4,426.43	***	
Rs. 2.14	#	

incurred during the

of GST. Accordingly, d in the results.
er Regulation 33 of nancial Results are ompany's website

rder of the Board
autam Chatterjee
Executive Officer

गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
एक महारत्न कंपनी

सूचना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों जिनके शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम 2016 ("नियम") के खंड 124 (6) ("प्रावधान") और नियम 6 (3) (क) के अनुरूप निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किए जाने की सूचना एतद्द्वारा दी गई है।

इस संबंध में कंपनी ने लगातार सात वर्ष तक लाभांश का भुगतान न होने या दावा न करने वाले शेयरधारकों के संबंध में डिपोजिटरी/आर एंड टी ए के पास उपलब्ध नवीनतम पते पर विशेष रूप से सूचित किया है जिसमें आईईपीएफ में अंतरित होने वाले शेयरों का विवरण निम्नवत दिया हुआ है :

लाभांश (वर्ष)	घोषणा की तारीख	अंतरण की नियत तारीख	आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयरों का अंतरण
अन्तरिम (2010-11)	23 दिसम्बर, 2010	22 जनवरी, 2018	22 जनवरी, 2018 उपरांत

ऐसे शेयरधारकों का विवरण जानने के लिए कृपया वेबसाइट www.gailonline.com/InvestorZone देखें।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने लगातार सात वर्ष तक अपना लाभांश नहीं लिया है वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय (या ई-मेल shareholders@gail.co.in) या हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (पताः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, **यूनिट : गेल (इंडिया) लिमिटेड**, प्रथम तल, एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020 या ई मेल : admin@mcsregistrars.com) को अन्य किसी जानकारी और कंपनी के पास पड़े हुए गैर दावागत लाभांश हेतु दिनांक 22 जनवरी, 2018 को और उससे पूर्व वैध दावे प्रस्तुत करें।

उपर्युक्त तारीख के पश्चात संबंधित शेयरधारक उक्त शेयरों के साथ लाभांश(शों) का दावा आईईपीएफ से प्रक्रियानुसार कर सकते हैं तथा आईईपीएफ नियम 2016 में यथा निर्धारित कागजातों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया वेबसाइट www.iepf.gov.in का संदर्भ ले सकते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.10.2017
ई-मेल : shareholders@gail.co.in
वेबसाइट : www.gailonline.com

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
(ए.के. झा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066
फोन : 011-26182955, फैक्स : 011-26185941
निगमित पहचान संख्या : L40200DL1984GOI018976

PRESSMAN

GPF और ऐसी दूसरी स्कीमों पर 7.8% का ब्याज मिलेगा

| ईटी ब्यूरो । नई दिल्ली |

सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की तरह अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) और इससे जुड़ी अन्य स्कीमों पर 7.8 फीसदी इंटरेस्ट रेट बनाए रखा है। जुलाई-सितंबर तिमाही में भी इन स्कीमों पर इंटरेस्ट रेट इतना ही था।

फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, 'भारत सरकार ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) और ऐसे अन्य फंडों में जमा राशि पर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2017 तक 7.8 फीसदी रेट पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा।' यह केंद्र सरकार, रेलवे और डिफेंस फोर्स के एंप्लॉयीज पर भी लागू होगा। पिछले महीने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरह दिसंबर तिमाही के लिए प्रॉविडेंट फंड के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

इससे रिटायरमेंट फंड संस्था ईपीएफओ पर प्रॉविडेंट फंड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट कम करने का दबाव बन सकता है, ताकि इसे बाकी स्कीमों की बराबरी में लाया जा सके। ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अगले महीने होने वाली बैठक में वित्त वर्ष 2018 के लिए इंटरेस्ट रेट पर विचार कर सकता है। ईपीएफओ ने 2016-17 के लिए 8.65 फीसदी इंटरेस्ट रेट देने का ऐलान किया था, जबकि 2015-16 में इस पर ब्याज दर 8.8 फीसदी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपीएफ और ऐसी अन्य स्कीमों पर रिटर्न कम होने के कारण ईपीएफ रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए कह रही है।

ET Delhi Hindi 26.10.17